न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 78 / 11 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :- 2011 / 00011

उनवान

1. डिगम्बर सिंह } पिसरान मिश्रीलाल } जाति जाट निवासी ऐचेरा तह0 नदबई जिला भरतपुर।
2. नाहर सिंह
3. जवाहर सिंह
4. सोहन सिंह पुत्र नत्थी सिंह
5. पूरन सिंह (मृत)शिवदेई वेवा पूरन सिंह
6. मनोज कुमार } पिसरान पूरन सिंह जाति जाट निवासी ऐचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. ज्वाला सिंह
8. रघुराज

......................अपीलांट।

बनाम

1. परवो (मृतक) } पिसरान परवो जाति जाट नि0 ऐचेरा तह0 नदबई जिला भरतपुर।
   1/1. नन्नू (मृतक)
   1/1/1. विक्रम
   1/1/2. देशवीर
   1/1/3. गुड्डी
   1/1/4. शान्ती वेवा नन्नू
   1/2. रमेश
   1/3. भागमल
   1/4. लीलावती पत्नी आराम
   1/5. बताशो पत्नी हरवीर पुत्री परवो
   1/6. वीरो पुत्री परवो

..........असल रेस्पो0

2. श्यामलाल पुत्र जवाली (मृतक)
   2/1. सुन्दर सिंह पुत्र श्यामलाल } जाति जाट निवासी ऐचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   2/2. विरसला पुत्री श्यामलाल
   2/3. कुसुम पुत्री श्यामलाल पत्नी परसराम निवासी ग्राम अरौदा तहसील नदबई।
3. प्रभूदयाल (मृतक)

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3/1. रणधीर सिंह (मृतक)
3/1/1. चरन सिंह पुत्र रणधीर सिंह
3/1/2. विष्णु पुत्र रणधीर सिंह (मृतक)
3/1/2/1. भूरी देवी पत्नी विष्णु
3/1/2/2. पारख पुत्र विष्णु
3/2. मुकेश पुत्र प्रभूदयाल (मृत)
3/2/1. शंकर सिंह पुत्र मुकेश
3/3. राजपाल पुत्र प्रभूदयाल (मृतक)
3/3/1. मोहन सिंह पुत्र राजपाल
3/4. आशा पुत्री प्रभूदयाल
} जाति जाट निवासी ग्राम ऐंचेरा तहसील नदबई।

4. महाराज सिंह
5. हरी सिंह
6. बाबूलाल
} पुत्र जवाली जाति जाट निवासी ऐंचेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

7. भँवर सिंह (मृतक)
7/1. शिव सिंह
7/2. कमला
7/3. तारा
7/4. सरोज
7/5. लच्छो
7/6. अनीता
} पुत्रान प्रहलाद जाति जाट निवासी ग्राम ऐंचेरा तहसील नदबई।

8. बनै सिंह
9. हरभान सिंह
10. विनोद सिंह
} पुत्रान प्रहलाद जाति जाट निवासी ग्राम ऐंचेरा तहसील नदबई।

11. रामकली वेवा प्रहलाद (मृतक)
11/1. बनै सिंह
11/2. हरभान सिंह
11/3. विनोद सिंह
11/4. द्रापदी
11/5. सुशीला
11/6. चन्द्रवती
} पिस0 रामकली वेवा प्रहलाद जाति जाट नि0 ऐंचेरा तहसील नदबई।

12. विजेन्द्र सिंह पुत्र घन्सी
13. घन्सी पुत्र निहाल (मृतक)
13/1. बृजेन्द्र सिंह
13/2. शेर सिंह
13/3. बलवीर
13/4. लौंगश्री पत्नी स्व0 घन्सी
} पुत्रान घन्सी जाति जाट निवासी ऐंचेरा तह0 नदबई।

14. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नदबई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

15. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा नदबई।
16. तहसीलदार कम पैरोकार सरकार तहसील नदबई।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नदबई दिनांक 24.08.2011 उनवानी परवो बनाम श्यामलाल मु0न0 256/2002

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री पुरूषोत्तम लाल मुदगल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुघड सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 10.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के आदेश दिनांक 24.08.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 परवो ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 13 रकवा 18 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम ऐंचेरा तहसील नदबई में स्थित है। विवादित आराजी पर वादी/रैस्पो0 परवो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एवं संवत 2009 से संवत 2024 तक राजस्व रिकार्ड में अंकन हैं। परन्तु प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट द्वारा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बन्दोबस्त करते समय उनसे साज कर विवादित आराजी को बिना किसी सक्षम आधार पर अपने नाम शिकमी के इन्द्राज करा लिये। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट विवादित आराजी से वादी रैस्पो0 को जबरन बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर वर्तमान में हो रहे गलत इन्द्राजो को कलमजन कर वादी रैस्पो0 को विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा वर्तमान में आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आराजी बाबत् पूर्व में इन्हीं पक्षकारो के मध्य 1998 में वाद चला था जो दिनांक 18.09.1998 को निर्णित हुआ। जिसकी अपील परवो बनाम श्यामलाल न्यायालय हाजा में चली एवं बाद में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है। इसलिये प्रकरण में रेसजुडिकेटा का सिद्धान्त भॅलीभॉत साबित है। परन्तु सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ना देते हुये, कानून के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर जो व्यक्ति कब्जे में थे उन्हें शिकमी दर्ज किया गया था तथा जो लोग जोत करते थे उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये। बन्दोबस्त के समय रैस्पो0 का कोई अंकन साविक खसरा नम्बर पर नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2017(4) पेज 1812, 2019(2) पेज 488, 2017(4) पेज 1472 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस मे तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप हैं। प्रकरण में रेसजूडिकेटा लागू नहीं होता है। पूर्व में समान तथ्य तय हो चुके हों एवं पुनः वही तथ्य विवादित हो तभी रेसजूडिकेटा लागू होगा। पूर्व दावा विवादित आराजी के विभाजन से संबंधित था जबकि बाद का दावा खातेदारी अधिकारो की घोषणा का है। दोनों दावो में समान पक्षकार एवं समान विवादित आराजी नहीं है। बन्दोबस्त विभाग ने अपीलाण्ट को गैर कानूनी रूप से शिकमी दर्ज कर दिया। जबकि बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार इन्द्राज परिवर्तन के कोई अधिकार हासिल नहीं थे। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2007–08 पेज 160, आरआरडी 1998 पेज 256, 1998 पेज 415, 1995 पेज 678, 1987 पेज 202, 2001 पेज 411, 1989 पेज 750, 1990 पेज 650, 1987 पेज 202 का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के आदेश दिनांक 18.09.1998 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में इसी विवादित आराजी से संबंधित एवं पक्षकारो के पूर्व पुरूष के मध्य वाद चला, जो उभयपक्ष की साक्ष्य व सुनवाई उपरान्त विवादित आराजी का विधिवत विभाजन हो गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील भी न्यायालय हाजा में चली जो दिनांक 19.02.2009 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है। परन्तु रैस्पो0 परवो ने पुनः उन्हीं खसरा नम्बरो पर गैर मौरूसी के रूप में दर्ज होना बताते हुये, दावा प्रस्तुत कर दिया। जबकि विवादित आराजी का विधिवत विभाजन पक्षकारो के मध्य पूर्व मे हीं हो चुका था। जिसके खण्डन में प्रतिवादी अपीलाण्ट द्वारा उक्त निर्णयो की प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब के साथ प्रस्तुत की गयी हैं। लिहाजा उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रमाणित था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य बाबत् ध्यान नहीं दिया जाकर, सरसरी तौर पर वादी/रैस्पो0 का दावा डिक्री कर दिया। जबकि प्रकरण में विवादित आराजी एवं पक्षकार समान ही हैं। अतः प्रकरण में स्पष्ट रूप से धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

"रेसजुडीकेटा" का सिद्धान्त लागू होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय दिनांक 24.08.2011 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व प्रकरण में पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुये एवं यथासंभव पूर्व दावे की पत्रावली को तलव करते हुये एवं उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.23 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 10.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

10.10.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर